<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>16-09-2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 16/09/2025 को मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एनएच–12, मिसरोद, भोपाल स्थित 27.30 करोड़ रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, एसटीबी, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई द्वारा कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ उठाकर बैंक ऑफ बड़ौदा से 34.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जाँच से पता चला है कि शुरुआत में आरोपियों ने वर्ष 2010 में दुर्भावनापूर्ण तरीके से 7.50 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ उठाया था। वर्ष 2015 में यह सीमा धीरे–धीरे बढ़ाकर 42 करोड़ रुपये कर दी गई। ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि जिन धनराशियों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था, उन्हें अपनी सहयोगी कम्पनियों में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में, इस स्थानांतरित धनराशि का उपयोग कुर्क की गई संपत्ति के अधिग्रहण के लिए और कुर्क की गई संपत्ति के विकास के लिए और ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।